कार्यालय कलेक्टर/लाइसेंस प्रधिकारी, जौनपुर।

संख्या 1493 /जि0आ0अ0/ई–टेण्डर/आफर/2020–21/ दिनांक : अगस्त, 25 ,2020

विज्ञप्ति

एतदद्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि कलेक्टर/लाइसेंस प्राधिकारी जौनपुर के आदेश संख्या–1474/2020–21/जौनपुर/दिनॉक अगस्त 21, 2020 द्वारा दिये गये निर्देशानुसार जनपद जौनपुर की अनुज्ञापी के कदाचरण के आरोप में निरस्त वीयर दुकान शेरवा, सदर, जौनपुर के ई–टेण्डर/ऑफर के माध्यम से व्यवस्थापन कराये जाने हेतु आवेदन पत्र आमंत्रित किये जाते है। दुकान का विवरण निम्नवत् है–

क्रम सं0	दुकान का नाम	शाप आईडी	प्रास्थिति	वर्ष 2020–21 हेतु वार्षिक लाइसेंस फीस	धरोहर धनराशि रूपयें में	प्रतिभूति धनराशि रूपये में	हैसियत प्रमाण पत्र की धनराशि रूपये में
1	शेरवॉ	9589	ग्रामीण	115000	11500	11500	115000

देशी शराब दुकान के व्यवस्थापन हेतु आन–लाइन टेण्डर आमंत्रित किये जाने हेतु समय सारणी निम्नवत् है :–

1.	Tender publishing date	31-08-2020 at 11-00
2.	Document download start date	31-08-2020 at 11-30
3	Document download end date	07-09-2020 at 15-00
4	Pre bid meeting date	01-09-2020 at 10-00
5	Bid submission start date	31-08-2020 at 11-30
6	Bid submission Closing date	07-09-2020 at 15-00
7	Technical bid opening date	08-09-2020 at 10-00
8	Financial bid opening date	08-09-2020 at 15-00
9	The pleace of bid opening	COLLECTORATE MEETING, HALL JAUNPUR
10	Tender inviting Officer	Collector, Jaunpur

ई–टेण्डर भरे जाने हेतु नियम/शर्ते

1. आवेदन/व्यवस्थापन से सम्बन्धित प्रकिया वेवसाइट www.etender.up.nic.in पर सम्पादित की जायेगी तथा व्यवस्थापन से सम्बंधित विस्तृत विवरण आबकारी विभाग के वेवसाइट www.upexcise.in पर उपलब्ध रहेगा।
2. वीयर दुकान के कालम 5 में अंकित वर्ष 2020–21 हेतु निर्धारित लाइसेंस फीस से कम का आफर स्वीकार नही होगा तथा एक से अधिक आवेदन की दशा में सर्वोच्च वार्षिक लाइसेंस फीस के ई–टेण्डर/ऑफर को स्वीकार किया जायेगा। दो या दो से अधिक समान ई–टेण्डर/आफर प्राप्त होने की दशा में मैनुअल लाटरी के माध्यम से समान ई–टेण्डर/आफरों में एक को चुनकर व्यवस्थापन कराया जायेगा।
3. अवशेष अवधि हेतु लाइसेंस फीस का निर्धारण आफर स्वीकृत हाने के पश्चात किया जायेगा। उक्त दुकान के स्वीकृत उच्चतम ई–टेण्डर/आफर वाले लाइसेंस फीस को 5000 के गुणांक मे निर्धारित किया जायेगा।
4. व्यवस्थापन की शेष शर्ते इसके पूर्व के वर्ष 2020–21 के व्यवस्थापन के समान ही पूर्ववत रहेगी ।
5. उक्त वीयर दुकान हेतु निर्धारित लाइसेंस फीस के सापेक्ष प्राप्त आफर में निहित लाइसेंस फीस के 10 प्रतिशत के बराबर की धरोहर धनराशि राष्टीयकृत बैक से निर्गत बैंक ड्राफ्ट, जो जिला आबकारी अधिकारी जौनपुर के नाम से जौनपुर में देय हो, को ही स्वीकार किया जायेगा। प्रत्येक आवेदन के लिए पृथक धरोहर धनराशि जमा करनी आवश्यक होगी।
6. प्रत्येक ऑनलाइन आवेदन के साथ बीयर दुकान हेतु रू0 20,000/–(रूपये बीस हजार मात्र) की दर से प्रोसेसिंग शुल्क अनिवार्य रूप से upexciseonline.in पर जाकर आनलाइन चालान डिपोजिट के माध्यम से राजकोष के लेखाशीर्षक–003900800050000 में जी–6 हेड–08–देशी/विदेशी एव बीयर की फुटकर दुकानों के व्यवस्थापन हेतु प्रोसेसिंग फीस मद में जमा किया जायेगा।
7. आवेदन/व्यवस्थापन से सम्बंधित प्रक्रिया वेबसाइट www.etender.up.nic.in पर सम्पादित की जायेगी तथा उक्त मदिरा दुकानों हेतु उक्त देशीशराब दुकानों हेतु इस वेबसाइट के माध्यम से आनलाइन आफर/आवेदन किया जा सकेगा। प्रत्येक आवेदक/ऑफरदाता को Digital Signature Certicicate (DSC) भारत सरकार द्वारा अधिसूचित किसी भी एजेन्सी से अनिवार्य रूप से तैयार करानी होगी तथा उपरोक्त www.etender.up.nic.in बेवसाईट पर पंजीकरण करना होगा।
8. प्रत्येक आवेदक को आवेदन पत्र, प्रोसेसिंग शुल्क के चालान की प्रति, निर्धारित प्रारूप में शपथ पत्र (दस रूपये के नान जूडिसियरी स्टाम्प पेपर पर नोटरी द्वारा सत्यापित), आधार कार्ड, पैन कार्ड, वॉछित धनराशि का वैध हैसियत प्रमाण पत्र/आयकर वैल्यूवर द्वारा निर्गत सम्पत्ति प्रमाण पत्र की स्वप्रमाणित स्कैन प्रति ई–टेण्डर के टेक्किनिकल वीड सेक्शन में अपलोड करना अनिवार्य है। नियमानुसार देय धरोहर धनराशि के बैक ड्राफ्ट की स्कैन कापी तथा वित्तीय निविदा हेतु निर्धारित प्रारूप में भरकर स्कैन कर पी0डी0एफ फारमेट में ई–टेण्डर के फाइनेसियल विड सेक्शन में अपलोड की जायेगी। ई–टेण्डर/आफर से संवंधित प्रत्येक दुकान का अलग–अलग टेण्डर अपलोड किया जायेगा।

9. उपर्युक्त व्यवस्थापन मा0 न्यायालयों में याजित याचिकाओं में होने वाले निर्णय के अधीन होगा।

10. इस कार्यालय द्वारा प्रकाशित विज्ञप्ति संख्या–1334/दिनांक 10.08.2020 के कम में दिनांक 27.08.2020 से 14 दिन अथवा स्थाई व्यवस्थापन जो भी पहले हो, की अवधि के लिए नियमानुसार दैनिक आधार पर दुकान के संचालन हेतु आवेदन पत्र दिनॉक 27.08.2020 को 11–00 बजे तक आमन्त्रित कर तददिनॉक को 12–00 बजे व्यवस्थित किया जायेगा।

11. ई–टेण्डर/आफर से संवंधित पृच्छाओं के समाधान के लिए कार्यालय जिला आबकारी अधिकारी अथवा क्षेत्रीय आबकारी निरीक्षकों से कभी भी सम्पर्क किया जा सकता है।

जिला आबकारी अधिकारी,
जौनपुर।

लाइसेंस प्राधिकारी/जिलाधिकारी
जौनपुर।

संख्याः 1494–1505 /जि0आ0अ0/ ई–टेण्डर/आफर /2020–21/तददिनांकः

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1– आबकारी आयुक्त, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।

2– अपर जिलाधिकारी (वित एवं राजस्व) जौनपुर।

3– संयुक्त आबकारी आयुक्त, वाराणसी जोन, वाराणसी।

4– उप आबकारी आयुक्त, वाराणसी प्रभार, वाराणसी।

5– नाजिर, सदर, कलेक्ट्रेट को दो प्रतियों में इस निर्देश के साथ कि उक्त सूचना को सूचना पट्ट पर चस्पा करायें तथा दिनांक 04.09.2020 को 15.00 बजे कलेक्ट्रट मीटिंग हाल जौनपुर में अपेक्षित कार्यवाही कराने हेतु प्रेषित।

6– समस्त आबकारी निरीक्षक, जौनपुर को इस निर्देश के साथ कि उपरोक्त दुकानों से संवंधित समस्त सूचनाओं से भिज्ञ होकर ई–टेण्डर/आफर के आवेदकों को उनके द्वारा मॉगी जा रही जानकारी देते हुए व्यवस्थापन कराया जाना सुनिश्चित करें।

7– सम्पादक,दैनिक समाचार पत्र–......हिन्दुस्तान......को इस आशय से प्रेषित कि अपने समाचार पत्रों में कम से कम स्थान में विज्ञापन प्रकाशित कर बिल जिला सूचना एवं जन सम्पर्क अधिकारी, जौनपुर से सत्यापित कराकर कार्यालय में प्रस्तुत करने का कष्ट करें।

जिला आबकारी अधिकारी,
जौनपुर।